भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4944
सोमवार, 23 मार्च, 2026 / 02 चैत्र, 1948 (शक)

ईएसआईसी के लाभार्थी

4944. **श्री आशीष दुबे:**
श्री हरीभाई पटेल:
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आने वाले बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ईएसआईसी कवरेज के विस्तार और श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (स्प्री)-2025 के अंतर्गत प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पतालों, औषधालयों और अति-विशिष्ट सेवाओं सहित ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंजीकरण और दावा निपटान की प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): दिनांक 31.3.2025 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत कवर किए गए बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 3,84,35,880 और 14,91,31,214 है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): ईएसआईसी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 से दिनांक 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु योजना (स्प्री, 2025) की शुरुआत की है, जिसे आगे एक महीने की अवधि के लिए दिनांक 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.01.2026 तक कुल 1,38,718 नए नियोक्ताओं और 1,12,72,772 नए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कवरेज के दायरे में लाया गया है।

जारी..2/-

(ग): ईएसआईसी देश भर में अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल 98 नए ईएसआई अस्पतालों और 61 औषधालयों को मंजूरी दी गई है, और 12 ईएसआई अस्पतालों में बिस्तर क्षमता के उन्नयन के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 25 ईएसआईसी अस्पतालों में यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, रूमेटोलॉजी और न्यूरोलॉजी सहित सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं अब उपलब्ध हैं। उन्नत उपचार तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ईएसआईसी ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के साथ कैशलेस इन-पेशेंट देखभाल के लिए टाई-अप व्यवस्था की है, जहाँ ऐसी सेवाएं उसके अपने संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ एक समझौता ज्ञापन ईएसआईसी लाभार्थियों को पैनल में शामिल आयुष्मान अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आपातकालीन और गंभीर देखभाल में सुधार के प्रयासों के हिस्से के रूप में, 06 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में रीयल-टाइम रोगी निगरानी वाली 5जी-सक्षम एम्बुलेंस शुरू की गई हैं। 300 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में इन-हाउस डायलिसिस सुविधाओं के साथ-साथ ब्लड बैंक और छोटे अस्पतालों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ): ईएसआईसी ने अपने ऑनलाइन ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और दावा प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बना दिया है। नियोक्ता और कर्मचारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, और बीमाकृत व्यक्ति सीधे बीमाकृत व्यक्ति (आईपी) पोर्टल के माध्यम से बीमारी हितलाभ, प्रसूति हितलाभ और अन्य संबंधित हितलाभों सहित नकद लाभों के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

* ******

अनुबंध

'ईएसआईसी के लाभार्थी' के संबंध में श्री आशीष दुबे, श्री हरीभाई पटेल और श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4944 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किए गए बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	बीमित व्यक्ति	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	14,28,110	55,41,067
2	असम	3,42,000	13,26,960
3	अरुणाचल प्रदेश	2,210	8,575
4	मेघालय	16,130	62,584
5	नागालैंड	5,360	20,797
6	त्रिपुरा	22,910	88,891
7	मणिपुर	5,350	20,758
8	मिजोरम	3,160	12,261
9	बिहार	5,13,420	19,92,069
10	चंडीगढ़	1,42,120	5,51,425
11	छत्तीसगढ़	6,27,260	24,33,769
12	दिल्ली	14,00,970	54,35,763
13	गोवा	2,15,910	8,37,731
14	गुजरात	20,04,720	77,78,313
15	हरियाणा	29,24,310	1,13,46,323
16	हिमाचल प्रदेश	4,15,570	16,12,412
17	जम्मू और कश्मीर	1,55,720	6,04,194
18	झारखंड	5,54,980	21,53,322
19	कर्नाटक	35,33,300	1,37,09,204
20	केरल	10,95,170	42,49,260
21	मध्य प्रदेश	12,99,080	50,40,430
22	महाराष्ट्र	49,14,790	1,90,69,385
23	ओडिशा	10,90,420	42,30,830
24	पुदुचेरी और माहे	1,20,400	4,67,152
25	पंजाब	13,87,110	53,81,987
26	राजस्थान	17,38,060	67,43,673
27	सिक्किम	27,540	1,06,855
28	तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह	44,77,800	1,73,73,864
29	तेलंगाना	19,15,700	74,32,916
30	उत्तर प्रदेश	31,27,810	1,21,35,903
31	उत्तराखंड	7,07,130	27,43,664
32	पश्चिम बंगाल	22,21,360	86,18,877
	अखिल भारतीय	3,84,35,880	14,91,31,214

(स्रोत: ईएसआईसी मुख्यालय)